न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी – [illegible] (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या 48/2024 सी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/36
पेश दिनांक 11.03.2024 निर्णय दिनांक 04.04.2025

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति बिश्नोई निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ढाढरवाला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ढाढरवाला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ढाढरवाला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ढाढरवाल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी के राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, [illegible] इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की [illegible] फोटोप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक [illegible].2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 333 की पालना में दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द [illegible] प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान के सीमा ज्ञान करवाया गया [illegible] दिनांक 16.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी व उक्त [illegible] फर्द नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी द्वारा [illegible] [illegible] माल आदि की सुरक्षा के लिए [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] द्वारा [illegible] प्रार्थी की उक्त भूमि की [illegible] [illegible] माल उत्पादन की सुरक्षा [illegible] प्रार्थी अपनी उक्त भूमि [illegible]

मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधि
जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज र किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी सं पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अ संख्या 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्र बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ब कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 488/183 रकबा 1.8615 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने अपने हि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों अ तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया ज रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.02 2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 488/183 रकबा 1.8615 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 488/183 रकबा 1.8615 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)